प्रेषक,

कपिल देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उ0प्र0 लखनऊ।

श्रम अनुभाग–5

लखनऊ : दिनांक 22 अप्रैल,2008

विषय- नेशनल ई–गर्वनेन्स प्लान के अन्तर्गत प्रदेश के 6 जनपदों–गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुलतानपुर,गोरखपुर,सीतापुर एवं रायबरेली के सेवायोजन कार्यालयों में कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से पंजीयन की व्यवस्था ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 661/ई–6/ई–डिस्ट्रिक–परि0/सम0स0/2007, दिनांक 15–4–2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 6 जनपदों– गौतमबुद्धनगर,गाजियाबाद,सुलतानपुर,गोरखपुर,सीतापुर एवं रायबरेली के सेवायोजन कार्यालयों में ई–गर्वनेन्स प्लान के तहत कामन सर्विस सेन्टर के माध्यम से पंजीयन कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। उक्त पंजीयन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर में जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जो कि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) अथवा मौखिक रूप से सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन हेतु अनुरोध करना होगा।

(2)– अभ्यर्थी को अपनी पहचान से संबंधित प्रमाण पत्र आपरेटर को प्रस्तुत करना होगा।

(3)– कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने के उपरान्त पंजीयन से संबंधित ई–फार्म में भरा जायेगा।

(4)– अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अभिलेखों को कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।

(5)– कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा अभ्यर्थी की फोटो भी वेब कैमरा द्वारा लिया जायेगा।

(6)– फार्म में सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।

(7)– अभ्यर्थी द्वारा फार्म में उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को चेक कर उसकी पुष्टि की जायेगी।

(8)– फार्म में प्रविष्टियां सही पाये जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अपने अंगूठे का निशान लगायेगा।

(9)– कामन सर्विस सेन्टर द्वारा पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई–डिस्ट्रिक अप्लीकेशन के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा संबंधित सेवायोजन कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा।

(10)– संबंधित सेवायोजन कार्यालय में उक्त सूचनायें एक कम्प्यूटर पर ई–डिस्ट्रिक अप्लीकेशन में प्राप्त की जायेगी।

(11)– सेवायोजन कार्यालय प्राप्त सूचनाओं को प्रिन्टर से प्रिन्ट करके भी अपने कार्यालय में रखेगें।

(12)– इसके उपरान्त सेवायोजन अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर एन0सी0ओ0 कोड आवंटित किया जायेगा। समस्त प्रविष्टिया एक्स–63 में भी अंकित की जायेगी। इस हेतु एक दिन का समय निर्धारित है।

(13)– सभी प्रविष्टियां आदि ठीक पाए जाने पर सेवायोजन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा पुनः कम्प्यूटर के माध्यम से अभ्यर्थी का पंजीयन प्रपत्र जिसे इस व्यवस्था में जाब कार्ड कहा गया है, पर कम्प्यूटर से ही पंजीयन नम्बर तथा एन०सी०ओ० एवं अपने हस्ताक्षर अंकित कर संबंधित कामन सर्विस सेन्टर को वापस भेज देगें।

यह भी निर्देशित किया जाता है कि जो बेरोजगार सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत पूर्व की भांति सेवायोजन कार्यालयों में पंजीयन कराना चाहते है, वे पूर्ववत अपना पंजीयन करा सकते है।

2– कृपया तद्नुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

कपिल देव
प्रमुख सचिव

संख्या–800(1)/36–5–2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– निजी सचिव,प्रमुख सचिव,आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग ।
2– राज्य समन्वयक,सेन्टर फार ई–गर्वनेन्स, यू०पी० डेस्को को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त पत्र की प्रतिलिपि सभी संबंधित कार्यदायी संस्था/परामर्शदाता एजेन्सी (मेसर्स प्राईस वाटर हाउस कूपर्स/मेससे विप्रो/मेससे श्री आई इम्फोटेक) को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3– जिलाधिकारी,गौतमबुद्धनगर,गाजियाबाद,सुलतानपुर,गोरखपुर,सीतापुर तथा बरेली।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार त्रिपाठी)
विशेष सचिव